

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बस्ती, मऊ, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, इटावा, वाराणसी, एटा, सीतापुर, चित्रकूट, बांदा, बदायूँ एवं मेरठ ।

तखनऊ: दिनांक : 30 दिसम्बर, 2016

राजस्व अनुभाग-10

विषय: वर्ष 2016-17 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आईटम नं0-3(क) के प्राविधान-प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग मेडिकल केयर इटीसी. फार पीपुल अफेक्टेड इवैक्युवेशन, शेल्टेड इन रिलीफ कैम्पस के अनुसार गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु रू0 2,75,50,000/- (दो करोड़ पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम/पत्रांक व दिनांक	कम्बल हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में)	अलाव हेतु आवंटित धनराशि (रूपये में)	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	बस्ती, संख्या-1658, दिनांक-19.12.2016	20,00,000	2,00,000	20,00,000 कम्बल हेतु 2,00,000 अलाव हेतु
2	मऊ, संख्या-851, दिनांक-19.12.2016	20,00,000	2,00,000	20,00,000 कम्बल हेतु 2,00,000 अलाव हेतु

3	फिरोजाबाद, संख्या-1700, दिनांक-22.12.2016	25,00,000	2,50,000	25,00,000 कम्बल हेतु 2,50,000 अलाव हेतु
4	श्रावस्ती, संख्या-2517, दिनांक-23.12.2016	15,00,000	--	15,00,000 कम्बल हेतु
5	इटावा, संख्या-1662, दिनांक-24.12.2016	30,00,000	3,00,000	30,00,000 कम्बल हेतु 3,00,000 अलाव हेतु
6	वाराणसी, संख्या-1562, दिनांक-24.12.2016	15,00,000	--	15,00,000 कम्बल हेतु
7	एटा, संख्या-3818, दिनांक-24.12.2016	15,00,000	--	15,00,000 कम्बल हेतु
8	सीतापुर, संख्या-तेरह-सी0एफ0-29, दिनांक-24.12.2016	35,00,000	--	35,00,000 कम्बल हेतु
9	चित्रकूट, संख्या-523, दिनांक-26.12.2016	20,00,000	2,00,000	20,00,000 कम्बल हेतु 2,00,000 अलाव हेतु
10	बांदा, संख्या-453, दिनांक-26.12.2016	25,00,000	--	25,00,000 कम्बल हेतु
11	बदायूं, संख्या-474(1), दिनांक-26.12.2016	25,00,000	2,50,000	25,00,000 कम्बल हेतु 2,50,000 अलाव हेतु

12	मेरठ, संख्या-307, दिनांक 27.12.2016	15,00,000	1,50,000	15,00,000 कम्बल हेतु 1,50,000 अलाव हेतु
योग		2,60,00,000	15,50,000	2,75,50,000
(दो करोड़ पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र)				

- 2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजन-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- 3- शासनादेश संख्या-1200/1-10-2016-12(34)/03टी0सी0-1, दिनांक 07.11.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 1325(1)/1-10-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उओप्र0 इलाहाबाद ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उओप्र0 लखनऊ ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उओप्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

(मदन मोहन)

अनु सचिव।